भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †5199

उत्तर देने की तारीख 2 अप्रैल, 2025 (बुधवार)

12 चैत्र, 1947 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर परिषद में उत्तर बंगाल को सम्मिलित करना

†5199. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) में उत्तर बंगाल को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) एनईसी में उत्तर बंगाल को सम्मिलित करने से विशेषकर बुनियादी ढांचे, पर्यटन और व्यापार के संदर्भ में प्रत्याशित विशिष्ट आर्थिक और विकासात्मक लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनईसी में उत्तर बंगाल को सम्मिलित करने से क्षेत्र में मौजूदा विकासात्मक पहलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी वृद्धि के लिए आवंटित की जाने वाली संभावित अतिरिक्त निधियों अथवा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसद के एनईसी अधिनियम, 1971 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सदस्य राज्य हैं। सिक्किम राज्य को एनईसी (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत शामिल किया गया था।

उत्तर बंगाल को एनईसी में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****